कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / योजना–4 / 23806 / 2019–20 दिनांक 03/05/2019

–: परिपत्र :–

विषय– वार्षिक योजना 2019–20 के राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता योजनाओं की समीक्षा बैठकों के संबंध में दिशानिर्देश।

....

प्रत्येक वर्ष की भांति वार्षिक योजना 2019–20 से सम्बन्धित राज्य निधि तथा केन्द्रिय सहायता योजना के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत उपलब्धियां अर्जित करने हेतु योजनागत आवंटन की प्रगति का नियमित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण आवश्यक है। इस संबंध में निम्न दिशा–निर्देश की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे:–

1. अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों / विद्यालयों के आप नियंत्रक होने के कारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत आपका यह दायित्व है कि आवंटित बजट के विरूद्ध वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित हो।
2. प्रत्येक माह का मासिक / त्रैमासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्रों प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला कार्यालयों से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर संकलित सूचना 08 तारीख तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाएंगे।
3. यदि स्वीकृत / आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय में कमी अथवा आधिक्य हो तो तत्काल उचित कार्यवाही करावें तथा वित्तीय एव भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा समय–समय पर आप स्वयं व्यक्तिगत ध्यान देकर करावें।
4. वर्ष 2019–20 के लिए राज्य निधि तथा केन्द्रिय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रावधान के शत प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अभी से आवश्यक कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जानी है। अतः इसे आप गम्भीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करें।
5. मण्डल अधिकारी स्वयं राज्य निधि तथा केन्द्रिय सहायता योजना व्यय की समीक्षा में लेखाकार्मिक को शामिल करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों से व्यय की समीक्षा करने के पश्चात निदेशालय में समीक्षा करवाएगें।
6. यह सुनिश्चित करें की समीक्षा बैठक में व्यय संबंधी संकलित सूचनाऐं पूर्ण एवं IFMS से मिलान शुदा प्रस्तुत की जावें। **समीक्षा में संयुक्त निदेशक कार्यालय के सहायक निदेशक एवं सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं उपस्थित होंगे।**
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि अपने अधीन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय से मासिक / त्रैमासिक व्यय की सूचना संकलित कर संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालयों में पृथक से आयोजना की मॉनिटरिंग हेतु पृथक से गठित प्रकोष्ठ के प्रबोधन का दायित्व **उप निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालयों में कार्यरत सहायक निदेशक / अति. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जावेगा।** उन्हें राज्य निधि तथा केन्द्रिय सहायता योजनाओं की प्रगति की सूचना (भौतिक एवं वित्तीय) भिजवाने हेतु अधिकृत कर पालना से अवगत करावें, साथ ही

Scanned by CamScanner

प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल नम्बर की सूचना भी इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य निधि तथा केन्द्रिय सहायता योजना मद के व्यय की समीक्षा प्रत्येक माह शासन सचिव, स्कूल शिक्षा स्तर पर की जाती है। अतः निर्देशित किया जाता है परिपत्र के **बिन्दु संख्या–6 व 7 की पालना कड़ाई से की जावे एवं अपने स्तर पर भी प्रभावी प्रबोधन करें।**

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें ताकि वार्षिक योजना 2019–20 का कियान्वयन सुचारू रूप से हो सके तथा योजना में वर्णित सम्पूर्ण उद्देश्य एवं लक्ष्य समय पर प्राप्त किये जा सकें।

संलग्नः–मासिक प्रगति एवं त्रैमासिक समीक्षा प्रारूप।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर.
2. प्रधानाचार्य, आईएएसई, बीकानेर/अजमेर
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
4. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, राज0,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग। (मुख्यालय)
6. वरिष्ठ सम्पादक, प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी माध्यमिक/छा.प्रो.प्र/खेलकूद/लेखा–डी–2 को प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वितों की सूचना से इस अनुभाग को प्रत्येक माह आवश्यक रूप से अवगत करावें।

उप निदेशक (योजना)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner